न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 89/2022
जीसीएमएस संख्याः 2022/388

निर्णय दिनांकः 10-04-26

1. पप्पुराम पुत्र बालूराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसु तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1 हरीराम पुत्र बालूराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसु तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2. शान्ति बेवा बालूराम (फौत)

3. बीरबल पुत्र फूला (फौत)
   - 3/1 रामप्यारी देवी पत्नी बीरबल
   - 3/2 सहीराम पुत्र बीरबल
   - 3/3 रामस्वरूप पुत्र बीरबल
   - 3/4 ओमप्रकाश पुत्र बीरबल
   - 3/5 बस्तु पुत्री बीरबल
   - 3/6 भंवरी पुत्री बीरबल
   - 3/7 चावली पुत्री बीरबल
   - 3/8 बाधू पुत्री बीरबल
   - 3/9 बिरमा पुत्री बीरबल

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोखा

–रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 17–10–2022

उपस्थितः–

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री श्याम सुन्दर कठातला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 ता 3/9

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 17–10–2022 जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 557 तादादी 4.84 हैक्टर भूमि में पहुँचने के लिए अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 555 में से नया रास्ता स्वीकृत करने की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के तथ्यो के विपरीत थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पूर्व में बिन्दू संख्या ई,एफ,जी से होकर ही आवागमन करते आ रहे थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पास पूर्व में चलायमान रास्ता उपलब्ध था, फिर भी नया रास्ता कायम करने की मांग की गई है। रास्ते संबंधी विवाद में यह देखा जाता है कि क्या प्रार्थी रास्ता की आत्यातिक आवश्यकता है अथवा नही। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पास पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध था। रास्ता सुविधा के लिए नही दिया जा सकता है। अपीलांट के पास खसरा नम्बर 555 में 0.98 हैक्टर भूमि ही हैं अगर इसमें से भी रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट का खेत एक छोटे टुकड़े में विभक्त होकर रह जाएगा। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा मनमाते तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिक का प्रयोग करके अपीलाधीन आदेश पारित नही किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 17–10–2022 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2027(1) पेज 423, आरआरटी 2023(2) पेज 1165, आरआरटी 2018–19 पेज 576, आरआरटी 2016(1) पेज 699 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 ता 3/8 ने जवाब बहस में कथन किये कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 557 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 555 मे से रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी का जवाब लेते हुए मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर विधि के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। हल्का पटवारी की फर्द मौका के बिन्दू संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 555 में बिन्दू संख्या ए से बी की दूरी 60 मीटर है तथा इसी के समान्तर खसरा नम्बर 556 में सड़क सीमा से दूरी 60 मीटर है। दोनो खसरो की भूमि समतल है, जो रास्ते के लिए उपयुक्त है। फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया है खसरा नम्बर 555 की भूमि रास्ते हेतु उपयुक्त है। रेस्पोडेन्ट के पास पूर्व में कोई रास्ता उपलब्ध नही होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से मौका की जॉच करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity&convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2019 पेज 147, आरआरटी 2023(1) पेज 699 प्रस्तुत किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील में न्यायालय हाजा को यह विनिश्चय करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर तार्किक विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अथवा नही? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से सही है अथवा नही?

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया।

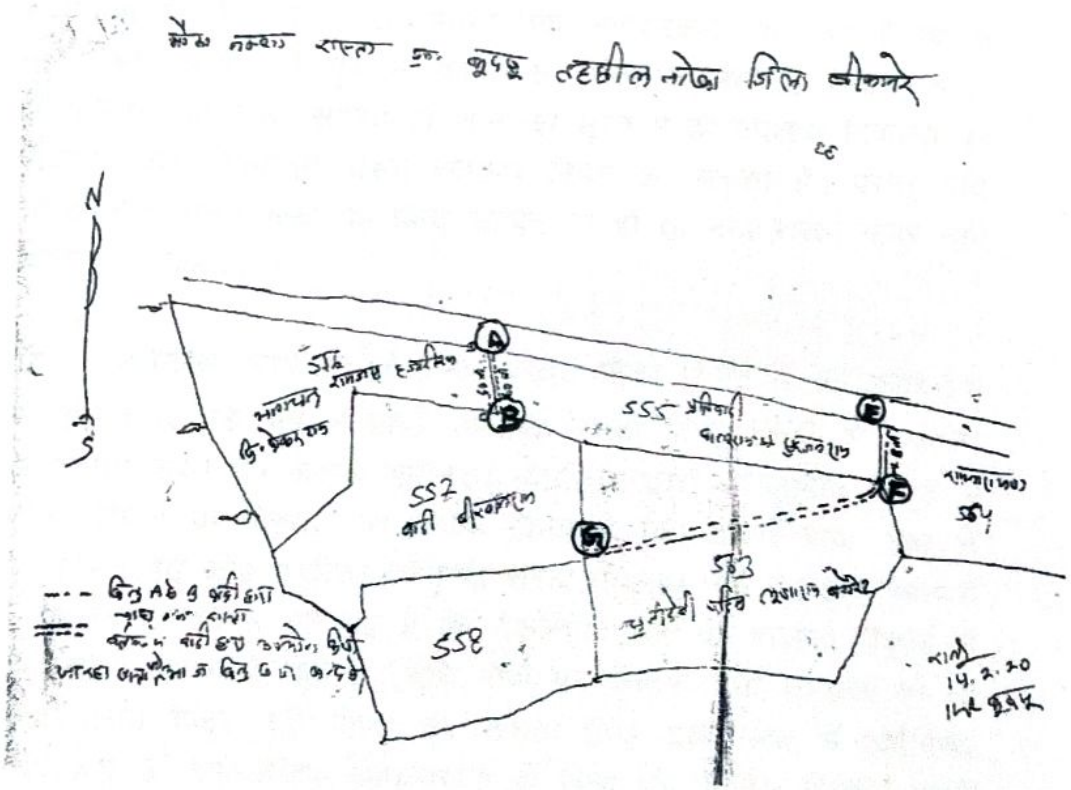

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मौका रिपोर्ट दिनांक 14–02–2020 भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई गई है। इस रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में यह उल्लेखित है कि– *"खसरा नम्बर 557 में आवागमन हेतु प्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू EF से खसरा नम्बर 564 मे होकर बिन्दू G तक खसरा नम्बर 563 में होकर गुजरते है। आज रोज बिन्दू G पर रास्ता बंद किया हुआ है।"*

इसी रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 3 में यह अंकित है कि– *"पूर्व में प्रार्थी उपरोक्त रास्ता बिन्दू EFG से होकर आवागमन करते थे।"*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरी नक्शे में *A* से *B* रास्ता स्वीकार किया है।

धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र पर विनिश्चय हेतु यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या रास्ता आत्यान्तिक आवश्यकता के लिए है अथवा नही? क्या प्रार्थी को पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नही? आत्यान्तिक आवश्यक साबित हो जाने की सूरत में ही उपलब्ध विकल्पो पर विचारण कर निकटतम रास्ता स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु यदि आत्यान्तिक आवश्यकता का बिन्दू साबित ना हो तो नया रास्ता मंजूर नही किया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह स्पष्टतया उल्लेखित था कि पूर्व में प्रार्थी उपरोक्त रास्ता बिन्दू *EFG* से होकर आवागमन करते थे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के विरूद्ध यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 557 में आवागमन हेतु कोई प्रचलित/कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि वैकल्पिक मार्ग का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक नही है। यदि मौके पर कदीमी मार्ग उपलब्ध हो तो नया रास्ता मंजूर नही किया जा सकता है।ह इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को आत्यान्तिक आवश्यकता के बिन्दू पर तार्किक विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना था कि क्या प्रार्थी को बिन्दू *EFG* से रास्ता उपलब्ध है अथवा नही? क्या बिन्दू *EFG* से पूर्व में प्रचलित रास्ता था जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है? क्या प्रकरण सुखाचार से संबंधित है?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर तार्किक विवेचन किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–10–2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता व वैकल्पिक मार्ग के अभाव के बिन्दू पर तार्किक विवेचन कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 10-04-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर